

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:-पं.टी.उ. पंखवाड़ा / 2025 / 149

प्रकरण सं.:- 141/2025  
दिनांक:- 9/2/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणधरी व मू.अ.  
नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिणधरी डूफ़  
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 25  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>सिणधरी डूफ़ खेड</u>	<u>25</u>	<u>31/1</u>	<u>डूंगरदाम s/o गिरधरी लाल</u>	<u>डूंगरदाम s/o गिरधरी लाल</u>

क्रमांक:-सम./2025/ 150-152  
प्रतिलिपि:-

(जगदीशसिंह आशिया)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी  
दिनांक:- 9/2/25

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी डूंगरदाम सिणधरी डूफ़ खेड तहसील सिणधरी को सूचनाथे।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी